बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं०सं०-नि०प्रा०/नि० 1-49/2009 368 /पटना, दिनांक 18 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)।
सभी नोडल पदाधिकारी।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (पैक्स)।

विषय : पैक्स निर्वाचन, 2009: अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) शीर्ष स्तर की समितियों, यथा केन्द्रीय सहकारिता बैंक, व्यापार मंडल, बिस्कोमान आदि के निर्वाचन हेतु प्राथमिक इकाईयाँ हैं। सहकारिता तंत्र को धनाढ्यों एवं निहित स्वार्थी तत्वों के चंगुल एवं प्रभाव से मुक्त रखने की दिशा में निर्वाचन से संबंधित व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना नितांत आवश्यक है।

2. यह सर्वविदित है कि प्राथमिक कृषि साख समिति ऐसे सदस्यों का एक संगठन है, जो अपनी मदद आप करने एवं एक-दूसरे की मदद करने के लिये साथ बैठते हैं। इस स्तर पर सामान्यत: सभी सदस्य एक-दूसरे की क्षमता से भली-भाँति परिचित रहते हैं। अत: पैक्स चुनावों के समय अभ्यर्थियों को अपने प्रचार-प्रसार हेतु अधिक व्यय करने की न कोई जरूरत होनी चाहिये, न ही इसका कोई औचित्य बनता है।

3. निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के संदर्भ में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 8 एवं 9 के प्रावधान भी आपके सुलभ प्रसंग हेतु उद्धृत किये जाते हैं -

धारा 8 - निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि - (1) किसी निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा।

धारा 9 -निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निरर्हता - यदि निर्वाचन प्राधिकार का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति -

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा।

4. निर्वाचन व्यय की सीमा को न्यूनतम स्तर पर रखने तथा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के सही संधारण हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार निम्नांकित निदेश देता है:-

(1) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी नामांकन एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि(दोनों दिन सहित) में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये सभी खर्च अथवा उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अधिकृत किये गये खर्चो का लेखा अलग से संधारित करेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा पैक्स के निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन में निम्नलिखित राशि से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा या न प्राधिकृत किया जायेगा -

(क) अध्यक्ष पद के मामले में पाँच हजार रूपये, एवं

(ख) प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में दो हजार रूपये

इस संबंध में यह भी ध्यातव्य हो कि -

(i) किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित पोस्टर, फलेक्सी, बैनर इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, अगर उक्त सामग्रियाँ विहित व्यय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं की गई हों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(4) के समनुरूप (Conforming to) नहीं हों। तथापि अभ्यर्थियों को मुद्रित सामग्री का वितरण व्यक्तिगत स्तर पर करने अथवा इसे पोस्ट द्वारा दूसरे सदस्यों को अपनी दृष्टि (vision) बतलाने तथा अपने चुनाव चिह्न को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भेजने की अनुमति होगी।

प्राधिकार प्रचार-प्रसार हेतु अभ्यर्थियों द्वारा किसी तरह का नारा लिखकर, चित्र बनाकर या बैनर आदि टांगकर सार्वजनिक या निजी संपत्ति का विरूपण करने के सख्त खिलाफ है। निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेंगे एवं विरूपण का मामला प्रकाश में आते ही संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध संपत्ति का विरूपण (निरोध) अधिनियम, 1987 की धारा 3 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के अधीन कानूनी कार्रवाई करेंगे।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पैक्स क्षेत्र के बाहर जुलूस निकालने, सार्वजनिक बैठकें करने और अन्य किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों/उनके समर्थकों द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार, कट-आउट आदि नहीं लगाया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने आदि के समय वाहनों के काफिले अथवा जुलूस आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) चुनाव प्रचार कार्य करने हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग/मोटर वाहन/पशु का उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। किन्तु अगर संबंधित ग्राम पंचायत का क्षेत्र बड़ा हो, अर्थात् जिसमें दो से अधिक राजस्व ग्राम पड़ते हों तथा वहाँ वाहन चलने योग्य सड़कें उपलब्ध हों, तब अभ्यर्थी को एक हल्का मोटर वाहन प्रयोग करने की अनुमति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का प्रयोग करने की अनुमति देने के दिन से ही उस वाहन पर किये गये व्यय को निर्वाचन व्यय अधिसीमा के तहत निश्चित रूप से गणित किया जाय। वाहन की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव कार्य के लिये होगी, जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के

पश्चात किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये जाने वाले वाहन परमिट में इस शर्त्त का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जायेगा। निदेश की अवहेलना किये जाने पर वाहन को तुरंत जब्त करने के साथ-साथ संबंधित अभ्यर्थियों पर संगत विधानों के अधीन फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के दिन अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी तरह के वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किन्तु निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य सद्भाविक उद्देश्यों (bonafide purposes) के लिए मतदान के दिन निम्न प्रकार के वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी :-

(क) मालिक (owner) द्वारा, निजी कार्यवश, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन।

(ख)मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान हेतु मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन।

(ग)आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेन्स, मिल्क वान, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वान तथा कर्तव्यरत आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहन।

(घ)पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें, जो निर्धारित टर्मिनस एवं रूट पर चलायी जाती है।

(ड.)टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा इत्यादि जिनसे अपरिहार्य परिस्थितिवश रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो।

(च)निजी वाहन, जिनका उपयोग बीमार अथवा नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा खुद के लिए किया जाता है।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवार या **उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के नि:शुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा।**

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त **उन्हें पाँच वर्षो के लिए किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से निरर्हित भी किया जा सकता है।**

प्राधिकार यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी बनाये गये प्रशासनिक तंत्र तथा चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पैक्स निर्वाचन के दौरान पैक्स क्षेत्र में सरकारी/स्थानीय निकायों/सहयोग समितियों/अन्य निकायों जिसमें सार्वजनिक निधि का व्यय किया जाता है, से संबंधित वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(3) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन के तुरंत पश्चात अपना दिन-प्रतिदिन व्यय का लेखा संधारित करने के संबंध में प्रपत्र-1 में एक सूचना निर्गत की जायेगी एवं उसके साथ लेखा के संधारण हेतु प्रपत्र-2 में एक पंजी भी दी जायेगी। अभ्यर्थी से सूचना एवं पंजी प्राप्ति के संबंध में संलग्न प्रपत्र-3 में पावती प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी।

(4) पंजी के प्रत्येक पृष्ठ की पेजिंग की रहेगी तथा वह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित रहेगी।

(5) अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अपने व्यय संबंधी लेखा का सही-सही संधारण सिर्फ उक्त पंजी में ही अंकित किया जायेगा, किसी अन्य पंजी में नही। पंजी में प्रविष्टि दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी तथा इसकी जाँच किसी भी समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) या उसके द्वारा प्राधिकृत उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी/प्रेक्षक/निर्वाचन पदाधिकारी/उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(6) व्यय के समर्थन में सभी अभिलेख यथा अभिश्रव, प्राप्ति, विपत्र, पावती इत्यादि दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे तथा उपर्युक्त पंजी के साथ कालक्रमानुसार (Chronological order) में संधारित कर रखे जायेंगे। प्रत्येक अभिश्रव आदि पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता का पूर्ण हस्ताक्षर रहना आवश्यक है।

(7) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपना निर्वाचन व्यय विवरण **हर पांचवे दिन** के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारियों के समक्ष स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर इसे उसकी तरफ से भारी चूक माना जायेगा।

(8) उक्त पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के लेखा की जाँच की जायेगी तथा वे पंजी के संगत पृष्ठों की दो छाया प्रतियाँ रखेंगे। एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर तथा दूसरी प्रति प्रत्येक पैक्स से संबंधित संचिका में अलग-अलग अभिलेख के सबूत के रूप में अपने पास रखी जायेगी तथा निर्वाचन समाप्ति के पश्चात संबंधित पैक्सों को भेजा जायेगा।

(9) प्राधिकार के प्रेक्षक अपने स्तर से भी प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उसके समर्थक अथवा अभिकर्त्ता द्वारा किये गये व्यय का स्वतंत्र रूप से आकलन करेंगे। प्रेक्षक प्राधिकार को समर्पित किये जाने वाले अपने सामान्य प्रतिवेदन में भी उक्त संबंध में पूर्ण चर्चा करेंगे।

(10) **निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पंद्रह दिनों के अंदर** प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय से संबंधित लेखा-जोखा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर देना होगा। जैसे ही किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया जाता है, वह इसे तुरंत संलग्न प्रपत्र-6 में पावती निर्गत करेगा। अगर लेखा व्यक्तिगत रूप से समर्पित किया जाता है, तो पावती संबंधित व्यक्ति को हाथों-हाथ उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अगर डाक के द्वारा समर्पित किया जाता है, तो पावती डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।

पंजी निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ मूल रूप में जमा की जायेगी तथा इसमें संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण तथा प्रपत्र-5 में एक शपथ पत्र भी संलग्न रहेगा। बिना शपथ पत्र के पंजी को स्वीकार नही किया जायेगा।

(1) निर्वाचन पदाधिकारी समर्पित लेखा की सत्यता के संबंध में जाँच करेगा एवं तत्पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना पट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा -

(क) तिथि, जिस दिन लेखा जमा किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; और

(ग) समय एवं स्थान, जहाँ ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है।

जाँच लेखा जमा करने के दस दिनों के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए।

(2) निर्वाचन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र-4 में दिये गये व्यय संबंधी विवरण की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) एवं प्राधिकार को देगा।

(3) उस अभ्यर्थी को प्राधिकार द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से मात्र एक ''कारण बताओ'' नोटिस निर्गत की जायेगी जो विहित अवधि के भीतर व्यय विवरण समर्पित करने में असमर्थ रहता है। निबंधित डाक से सूचना भेजे जाने पर, अगर एक महीने की अवधि के अंतर्गत अनडिलिभर्ड (Undelivered) की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो गई हो तो, यह माना जायेगा कि नोटिस का तामिला हो चुका है तथा नोटिस निर्गत होने की तिथि से एक माह बीत जाने पर मामले को निष्पादित कर दिया जायेगा। सूचना की एक प्रति संबंधित पैक्स के सचिव को भी अभ्यर्थी को तामिला कराने हेतु भेजी जायेगी। कारण बताओ नोटिस निम्न प्रपत्र में होगा –

प्रेषित,

............................, अभ्यर्थी, ... पैक्स

निर्वाचन पदाधिकारी, ... पैक्स से प्राप्त सूचनानुसार आपने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विहित समय सीमा के अंदर निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया है। फलस्वरूप बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अधीन प्राधिकार आपको अगले तीन वर्षों तक के लिये चुनाव लड़ने हेतु निरर्हित घोषित करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है। इस नोटिस प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्राधिकार को लिखित रूप में आप कारण बतायें कि क्यों नहीं आपको उक्त धारा के अधीन चुनाव लड़ने हेतु निरर्हित घोषित कर दिया जाय। विहित समय के भीतर आपका जवाब नहीं प्राप्त होने पर मामले को एकतरफा निष्पादित कर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार

(4) किसी अभ्यर्थी से संबंधित सभी पत्राचार उस पते पर किया जायेगा, जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंकित है। **अभ्यर्थी अपने पते में किसी परिवर्तन अथवा भविष्य में पत्राचार हेतु सही पते की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को अवश्य देगा।**

(5) निर्वाचन व्यय का लेखा अंग्रेजी/हिन्दी में समर्पित किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करने से संबंधित कानून/परिपत्र/निदेश/प्रपत्र आदि के अवतरण हिन्दी में उपलब्ध करा दिये जायें ताकि वे नियमों/प्रावधानों से भली–भाँति अवगत रहे तथा अपने दिन–प्रतिदिन के व्यय से संबंधित लेखा का संधारण सम्यक् ढंग से कर सके।

(6) दस रूपये की फीस परिदत्त किये जाने पर कोई व्यक्ति ऐसे लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा एवं प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रूपये फीस भुगतान करने पर वह उस लेखा या इसके किसी अंश की अभिप्रमाणित प्रति लेने का हकदार होगा। **इस मद में प्राप्त राशि संबंधित पैक्स की निधि में जमा करा दी जायेगी।**

(7) नोटिस का तामिला हो जाने एवं जवाब, अगर दिया गया हो, प्राप्त हो जाने पर प्राधिकार समस्त मामले की विस्तृत विवेचना करेगा एवं प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अधीन अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के बिन्दु पर निर्णय लेगा।

(8) प्राधिकार के इन निदेशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का सबूत शीर्ष सहकारी समितियों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक आवश्यक अर्हयता होगी।

5. जिला दण्डाधिकारी कृपया प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी अविलम्ब अवगत करा दें तथा उन्हें निदेश दें कि नामांकन पत्र भरने के समय ही वे सभी अभ्यर्थियों को उपर्युक्त प्रपत्रों की प्रति निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे। जिला सहकारिता पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पैक्सों को भी प्राधिकार के इस निदेश की प्रति जरूर उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(एन० एस० माधवन)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक :-

(i) सूचना का प्रपत्र(प्रपत्र-1)
(ii) पंजी का प्रपत्र(प्रपत्र-2)
(iii) अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र (प्रपत्र-3)
(iv) सार विवरण का प्रपत्र(प्रपत्र-4)
(v) शपथ पत्र का प्रपत्र(प्रपत्र-5)
(vi) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र (प्रपत्र-6)

ज्ञापांक- 368 /पटना, दिनांक 18 मई, 2009

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रपत्र-1

प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

सेवा में,

....

अभ्यर्थी, पैक्स.......................के अध्यक्ष/प्रबंध समिति के सदस्य।

विषय : निर्वाचन व्यय के लेखा का संधारण एवं उसकी सच्ची प्रतिलिपि समर्पित करने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आपका ध्यान बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान हैं कि निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या अपने अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में, नामांकन पत्र भरने से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की अवधि के बीच, किये गये सभी खर्चों का अलग एवं सही लेखा संधारित करेगा।

ज्ञातव्य हो कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंध समिति के सदस्य के पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये निम्नवत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नियत की गई है -

(क) अध्यक्ष पद के मामले में पाँच हजार रूपये, एवं

(ख) प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में दो हजार रूपये

2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 9 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिना युक्तियुक्त कारण या औचित्य के विहित समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नही करने पर राज्य निर्वाचन प्राधिकार उक्त अभ्यर्थी को तीन वर्षो की अवधि के लिये चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित कर सकता है।

3. अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश गंभीरतापूर्वक चुनाव नहीं भी लड़ता है तथा केवल नामांकन शुल्क को छोड़कर कोई अन्य व्यय नही करता है, तब भी उसे अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

4. अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अधीन रखे जाने वाले निर्वाचन व्यय का लेखा दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राधिकार के निदेशों के अधीन संधारित किया जायेगा।

5. निर्वाचन व्यय का लेखा जिस पंजी में संधारित किया जायेगा, वह संलग्न है। ख्याल रखें कि यह आपके लिये एक विशिष्ट पंजी है। इसी पंजी में ही अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित दिन-प्रतिदिन का लेखा आप संधारित करेंगे, अन्य किसी पंजी में नही। इस पंजी के साथ विभिन्न व्यय के समर्थन में प्राप्त किये गये सभी अभिश्रव, विपत्र, प्राप्तियाँ, पावती आदि भी समुचित कालक्रमानुसार सजाकर रखे जायेंगे। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात आपके द्वारा इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण भी तैयार किया जायेगा।

6. निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी अथवा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी/प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अथवा अन्य नामांकित प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांग किये जाने पर **आपको पंजी एवं संगत अभिलेखों को उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नही किये जाने पर इसे आपके स्तर पर भारी चूक माना जायेगा तथा इस आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अधीन आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।**

7. जिस पंजी में आपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा अंकित किया है, उस पंजी को ही निर्वाचन के पश्चात आपको निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ जमा करना है। आपको इस पंजी की प्रतिलिपि अपने पास अभिलेख के रूप में तथा भविष्य के संदर्भ हेतु अवश्य रख लेनी चाहिए। पंजी के साथ-साथ आपको कंडिका-5 में वर्णित सार विवरण भी एक शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। शपथ किसी प्रथम श्रेणी न्यायायिक दण्डाधिकारी या ओथ कमिश्नर या नोटरी के समक्ष लिया जायेगा।

स्थान- निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक-

अनुलग्नक -

1.पंजी क्रमांक -...............

2.सार विवरण का प्रपत्र

3.शपथ पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र–2

निर्वाचन व्यय का लेखा हेतु पंजी

1. अभ्यर्थी का नाम :–
2. पैक्स का नाम :–
3. नामांकन दाखिल करने की तिथि :–
4. निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि :–

निर्वाचन व्यय की पंजी

दिनांक	निर्वाचन व्यय के ब्यौरे	किसके द्वारा खर्च किया गया	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति

प्रपत्र–3

अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी

.................पैक्स।

महाशय,

मैंने आपके पत्र संख्या................दिनांक...............के साथ अनुलग्न सभी कागजात तथा मेरे निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के संधारण हेतु एक पंजी, जिसका क्रमांक............है, प्राप्त कर लिया है।

2. मैंने निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के संधारण तथा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ उसे जमा करने से संबंधित प्रावधानों को ध्यान से पढ़कर समझ लिया है।

आपका विश्वासी,

स्थान– (अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक–

प्रपत्र–4

निर्वाचन व्यय से संबंधित सार विवरण

भाग–1

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. पैक्स का नाम :
3. नामांकन दाखिल करने की तिथि :
4. निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि :
5. निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम एवं पता :

भाग–2

अभ्यथी/उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित सारांश

निर्वाचन व्यय के ब्यौरे	अभ्यर्थी	निर्वाचन अभिकर्त्ता /मतदान अभिकर्त्ता	समर्थक	कुल
1. प्रचार सामग्री, यथा हैण्डबिल, पोस्टर आदि				
2. प्रयुक्त वाहनों की संख्या एवं पेट्रोल, डीजल आदि पर खर्च				
3. अन्यान्य खर्चे				
			कुल खर्च	

स्थान–

दिनांक–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5

शपथ पत्र का प्रपत्र

मैं,...............................जो....................पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन में एक अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा शपथपूर्वक एवं सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि –

(1) मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता ने मेरे नामांकन दाखिल करने की तिथि एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के बीच में, दोनों तिथियों सहित, उपर्युक्त निर्वाचन में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किये गये अथवा प्राधिकृत किये गये सभी खर्चो का अलग एवं सही लेखा–जोखा रखा है।

(2) उपर्युक्त लेखा का संधारण निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु दी गई पंजी में किया गया है तथा उक्त पंजी उक्त लेखा में वर्णित सभी समर्थक अभिश्रवों/विपत्रों के सहित इससे उपाबद्ध है।

(3) इससे उपाबद्ध मेरे निर्वाचन व्यय लेखा में मेरे द्वारा अथवा मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किये गये अथवा अधिकृत किये गये निर्वाचन व्यय के सभी मद सम्मिलित है तथा कुछ भी छिपाकर/रोककर/दबाकर नही रखा गया है।

(4) उपर्युक्त (1) से (3) की कंडिकाओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

मेरे समक्ष दिनांक......................., को निष्ठापूर्वक शपथ लिया गया।

ओथ दिलाने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र–6

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र

.... पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन व्यय का लेखा, जिसका परिणाम दिनांक......................को घोषित किया गया था, दिनांक...................को अभ्यर्थी............ ..../उसकी तरफ से उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता..................................द्वारा दाखिल किया गया है तथा मेरे द्वारा आज दिनांक............माह............वर्ष.....................को प्राप्त किया गया है।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर